न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—190 / 2015 / 225(2015 / 00225)

1. रिद्धकरण पुत्र औंकार जाति जाट,
2. छोटू पुत्र औंकार जाति जाट,
3. छोटी पुत्री औंकार पत्नि गोकुल, जाति जाट,
4. श्रवण पुत्र हीरा, जाति जाट,
5. रोडू पुत्र बालू, जाति जाट,
6. छगना पुत्र छोगा, जाति जाट,
7. तेजू पुत्र लादू, जाति जाट,
8. तीजा पुत्री लादू, जाति जाट,

समस्त निवासीगण ग्राम दादीया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शिवराज पुत्र मंगला, जाति जाट, नि0 ग्राम दादीया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरकरण, जाति जाट,
3. गोपाल पुत्र हरकरण, जाति जाट,
4. प्रेम पुत्री हरकरण पत्नि रतन, जाति जाट,

समस्त निवासी ग्राम दादीया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अराई, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ , दिनांक 4.6.2015 अंतर्गत प्रार्थना संख्या 20 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विजेन्द्र सिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः—29.3.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 4.6. 2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 / प्रार्थी ने इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि खसरा संख्या 128 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0चाह ग्राम लाम्बा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त गै0मु0चाह से प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने—अपने हिस्से की भूमि की काश्त करते है । प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 137 व 138 की सिचांई खसरा संख्या 128 से की जाती है । खसरा संख्या 128 में

बिजली की मोटर लगी हुई है । प्रार्थी को खसरा संख्या 128 से सिंचाई किये जाने से रोका नहीं जाने का अनुतोष चाहा । विद्वान अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र का परीक्षण किये बिना दिनांक 9.3.2015 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने नोटिस निर्वहित होते ही दिनांक 16.3.2015 को धारा 151 जा0दी0 के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त दिनांक को ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब एवं फर्द दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत कर लिखित बहस भी पेश की । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 4.6.2015 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब में स्पष्ट रूप से प्रारंभिक आपत्तियों में यह उल्लेख किया था कि खसरा संख्या 128 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0चाह से कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 के वर्णितानुसार खसरा संख्या 137 व 138 की सिंचाई का साधन नहीं रहा है । खसरा संख्या 137 रकबा 13 बिस्वा गै0मु0 पाल है एवं खसरा संख्या 138 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा में से 6 बीघा 8 बिस्वा की किस्म बंजड़ प्रथम है एवं शेष रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा नहरी द्वितीय है जिसकी सिंचाई का साधन खसरा संख्या 144 गै0मु0नाड़ा है तथा अपने लिखित उत्तर मं यह भी निवेदन किया कि खसरा संख्या 137 व 138 में 1/4 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 10 तेजू पुत्र लादू एवं 1/2 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 9 छगना पुत्र छोगा एवं उसका भाई चन्द्रा पुत्र छोगा सहखातेदार, काबिज काश्तकार है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त तथ्यों को छिपाकर गलत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत खसरा संख्या 137 व 138 की जमाबंदी जिसमें खसरा संख्या 137 की किस्म गै0मु0पाल एवं खसरा संख्या 138 की सिंचाई का साधन खसरा संख्या 144 के रहते हुए भी उक्त दस्तावेज पर राज0भू–राजस्व अधि0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने आप ही एक नवीन प्रकरण बनाकर उपरोक्त आदेश पारित कर त्रुटि की है । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कोई जमाबंदी कूप विवरण या खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है जिससे यह प्रमाणित हो कि खसरा संख्या 128 से खसरा संख्या 137 व 138 की सिंचाई होती हो । बहस में आगे कथन किया कि खसरा संख्या 128 खसरा संख्या 137 व 138 से लगता हुआ नहीं है ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 128 से खसरा संख्या 137 व 138 की सिंचाई की स्थिति के बाबत् जो आदेश पारित किये है वह पूर्णतः कल्पना के आधार पर किये है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि खसरा संख्या 137 व 138 के अन्य सहखातेदारान ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कि उन्होंने कभी भी खसरा संख्या 128 गे0मु0चाह से खसरा संख्या 137 व 138 की सिंचाई नहीं की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं लिखित अभिवचनों को नजरअंदाज कर रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 137 व 138 के 1/4 हिस्से के सहखातेदार रेस्पो0 संख्या 1 शिवराज पुत्र मंगला दर्ज है । जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 594 के अनुसार खसरा नंबर 137 गै0मु0पाल है जिसकी सिंचाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। खसरा नंबर 138 के सिंचाइ का साधन कॉलम में खसरा नंबर 144 नाड़ा दर्ज है । इससे स्पष्ट जाहिर है कि खसरा नंबर 138 की सिचांई का साधन खसरा नंबर 144 नाडा है। खसरा नंबर 138 की सिंचाई चाह खसरा नंबर 128 से होती हो इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 अपने पूर्वजों से उक्त गै0मु0चाह से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 137 एवं 138 की सिंचाई चाह के साथ–साथ नाडे से भी करते रहे है, जो किसी उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य के विपरीत बिना किसी आधार के दिया गया है । इसको विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है तथा इसी कारण अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का आदेश दिनांकित 4.6.2015 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर